अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–19/2013 अपीलार्थी – हेमागिंनी देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 931/प्रो0 दिनांक 29.06.2013 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में शिकायत /आरोप यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा प्रतापगंज परियोजना के केन्द्र सं0– 70 उत्तरी कौर टोला के केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 2.11.2012 को 12:15 बजे दिन में किया। निरीक्षण के कम में केन्द्र पर मात्र 04 बच्चें उपस्थित थे, सेविका केन्द्र का संचालन न कर अपने घरेलू कार्य में व्यस्त (लगी) थी। केन्द्र पर बच्चों की अल्प उपस्थिति संबंधी आरोप कं संबंध में कार्यालय पत्रांक 373/प्रो0 दिनांक 21.03.2013 द्वारा सेविका श्रीमती हेमागिनी देवी से स्पष्टीकरण की माँग किया गया एवं निर्धारित तिथि दिनांक 25.03.2013. सेविका अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई। इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता/ सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग लिया, एवं अपना –अपना पक्ष रखा	

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि प्रश्नगत केन्द्र पर निरीक्षण तिथि को भी केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों को दी गई थी, तथा केन्द्र के लाभुक 36 बच्चें केन्द्र से सटे बगल में वार्ड सदस्य के दरवाजे पर संपिण्डी करण श्राद्ध के भोज में चले गऐ थे शेष बचे 04 बच्चें अपरिहार्य कारण से भोज में नहीं गए निरीक्षी पदाधिकारी (डी0पी0ओ0 सुपौल) ने भी भोज में चले गए 36 बच्चों को देखा, किन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख अपने आरोप पत्र में नहीं किए, यानी सही तथ्य को छुपा लिए एवं गलत रिर्पोट तैयार कर लिए। अपीलार्थी के स्पष्टीकरण जवाव में भी वार्ड सदस्या ने लिखित रूप से दिया है कि अपीलार्थी (सेविका) का स्पष्टीकरण कथन सही है।

अपीलार्थी (सेविका) के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अपना पक्ष रखा कि सी0डी0पी0ओ0 प्रतापंगज ने लिखित तौर यह बताया कि दिनांक 25.08.2014 से प्रमाण पत्र भी दिया है कि पोषाहार कय एवं वितरण कार्यान्व्यन समीति के खाता सं0– 2336815930 सेन्ट्रल बैंक राघोपुर तथा पोषाहार भंडार एवं वितरण पंजी के आधार पर विलंब से प्राप्त आवंटन मिला बैंक से नियत समय पर निकासी न होने के कारण दिनांक 20.10.2012 से 13.12.2012 के बीच आँगनबाड़ी केन्द्र नं0– 70 पर पका हुआ दैनिक पोषाहार बंद रहा पुनः दिनांक 14.12.12 से पूरक पोषाहार नियमित रूप से लाभुकों के बीच संचालित होता आ रहा है। बैंक का पासबुक प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि केन्द्र पर उपस्थित लाभुकों या उनके अभिभावको ने निरीक्षी पदाधिकारी डी0पीओ0 को आवेदिका के कथन का समर्थन किया कि केन्द्र का संचालन सेविका हेमागिंनी देवी नियमित रूप से विधिवत तरीके से करती आ रही है, और आज केन्द्र पर 40 बच्चें लाभुक आए थे, जिसमें से 36 लाभुक बच्चें वार्ड सदस्या के दरवाजे पर संपिण्डीकरण श्राद्ध भोज में चले गए थे, डी0पी0ओ0 को लाभुको एवं अभिभावको ने कोई गलत बयान केन्द्र के बारे में नहीं दिया।

उपरोक्त तथ्यों एवं बयानों के आधार इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि अपीलार्थी (सेविका) के इस लिखित बयान की, कि केन्द्र पर लाभुक बच्चे तो 40 आए थें, किन्तु उनमें से 36 बच्चें वार्ड सदस्या के दरवाजे पर संपिण्डीकरण श्राद्ध भोज में चले गए थे ये बाते सेविका के कियाकलाप एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, इससे पता चलता है कि सेविका काम के प्रति, कितनी सचेष्ट एवं मुस्तैद रहती है। सरकार आँगनबाड़ी केन्द्र का गठन प्रत्येक जगह

पर संपिण्डीकरण भोज श्राद्ध खाने के लिए नहीं की है? बल्कि केन्द्र का गठन इस उदेशय के लिए किया गया है कि लाभुक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देकर आगे उसका बौद्धिक विकास के साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास करना है। बच्चें तो चंचल होते है उतावले पन में भोज खाने चले गये होंगे उन्हें प्यार से समझा –बुझाकर रखा जा सकता है, इसके बावजूद भी सेविका तो निरीक्षण के समय केन्द्र पर उपस्थित थी, बच्चों को 11: बजे दिन तक स्कूल पूर्व शिक्षा दी चूँकि पूरक पोषाहार का आवंटन सही समय नहीं भेजा गया जिसके कारण निकासी न होने से पोषाहार नहीं खिलाया गया तो इसका संपूर्ण दोष सेविका के माथे मढ़ना युक्ति संगत नहीं दिखता है। हां लाभुक बच्चों जो भोज खाने चले गए, यहाँ सेविका हेमागिंनी देवी की लापरवाही मानी जायेगी अतः उन्हें कार्य में लापरवाही, उदासीनता बरतने के आरोप में एक महीने का आर्थिक दंड पूरक पोषाहार की राशि विभागीय शीर्ष में कोषागार में जमा करने के उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन बरकरार रखने का आदेश निर्गत करती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा